उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार

पत्रांकः 63 /26/APS-Shorthand-Exam/G-1/2024-25 **दिनांकः 05 नवम्बर, 2026**

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अपर निजी सचिव परीक्षा–2024 के अन्तर्गत आशुलेखन परीक्षा के संबंध में कतिपय प्रार्थीगण द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये गये, मा0 आयोग द्वारा विचारोपरान्त निम्नानुसार प्रत्यावेदन निस्तारित कर दिये गये हैं–

क्र. सं0	प्रार्थीगण का विवरण	प्रार्थीगण का कथन	निस्तारण आदेश
01.	रोहिणी नेगी (अनु0–101957)	प्रार्थिनी का कथन है कि अपर निजी सचिव परीक्षा–2024 के अन्तर्गत रिट याचिका सं0 2371 (एस/एस) ऑफ 2024 के क्रम में प्रश्नगत परीक्षा में सम्मिलित हुयी थी। मा0 आयोग द्वारा दिनांक 14.09.2026 को प्रश्नगत परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम घोषित किया गया किन्तु अभ्यर्थिनी का परीक्षा परिणाम एवं प्राप्तांक घोषित नहीं किये गये। मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा उक्त रिट याचिका में दिनांक 03.09.2025 को अंतिम आदेश प्रदान किया जा चुका है, अतः अभ्यर्थिनी द्वारा उनका प्रश्नगत परीक्षा परिणाम एवं प्राप्तांक घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।	अपर निजी सचिव परीक्षा–2024 का अंतिम चयन परिणाम, दिनांक 14.09.2026 मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित निम्न रिट याचिका पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन घोषित किया गया हैः– 1.रिट याचिका सं0–1369 (एस/एस) ऑफ 2024 2.रिट याचिका सं0–1488 (एस/एस) ऑफ 2024 3.रिट याचिका सं0–1487 (एस/एस) ऑफ 2024 4.रिट याचिका संख्या–2396 (एस/एस) ऑफ 2024, 2343 (एस/एस) ऑफ 2024, 2371 (एस/एस) ऑफ 2024, 2408 (एस/एस) ऑफ 2024 के निर्णय दिनांक 03.09.2025 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में दायर पुनर्विचार याचिका। **2.** यह भी सूचित करना है कि उपरोक्त रिट याचिका संख्याः–2371 (एस/एस) ऑफ 2024 अभ्यर्थिनी रोहिणी नेगी (अनु0–101957) से सम्बन्धित है। उक्त रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय, के निर्णय दिनांक 03.09.2025 के विरूद्ध पुनर्विचार याचिका योजित की गयी है। जिसे मा0 न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। उक्त पुनर्विचार याचिका मा0 न्यायालय में लम्बित होने के कारण उत्तराखण्ड सचिवालय हेतु विज्ञापित ओ0बी0सी0 श्रेणी के 01 पद को आस्थगित रखते हुए, उक्त रिट याचिकाओं से सम्बन्धित अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम, प्राप्तांक एवं संबंधित श्रेणी के कट–ऑफ–मार्क्स आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित नहीं किये गये हैं। उक्त

			पुनर्विचार याचिका पर मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय/आदेश के पश्चात् ही प्रकरण पर नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जाएगी। तद्क्रम में अभ्यर्थिनी द्वारा प्रत्यावेदन में किये गये अनुरोध को अस्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।
02	श्री सौरभ सक्सेना (अनु0–103668) मौ0 अजीम (अनु0–105794) श्री राकेश कुमार (अनु0–106790) सुश्री दिव्या अरोड़ा (अनु0–106499) मौ0 कासिम (अनु0–102817) श्री कमल सिंह (अनु0–103285) मौ0 नाजिम (अनु0–103783)	प्रत्यावेदन में अभ्यर्थीगण द्वारा निम्नवत अनुरोध किया गया है– 1. *भर्ती प्रक्रिया के दौरान प्रथम चरण/प्रारंभिक चयन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधानों में परिवर्तन किए जाने की स्थिति स्पष्ट होती है। विशेष रूप से यह भर्ती पूर्णतः shorthand दक्षता पर आधारित थी। अभ्यर्थियों ने विज्ञापन में निर्धारित कठिन shorthand मानकों को ध्यान में रखकर तैयारी की। भर्ती प्रक्रिया के मध्य UKPSC द्वारा shorthand के मानदंडों को सरल करने से उन अभ्यर्थियों की पूर्व तैयारी, प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति एवं समान अवसर प्रभावित हुए, जिन्होंने मूल मानकों के अनुसार तैयारी की थी। यह परिवर्तन संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 के तहत निष्पक्ष एवं समान अवसर के प्रश्न को जन्म देता है। Tej Prakash Pathak vs Rajasthan High Court-2024 INSC 847 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित "Rules of the Game" सिद्धांत के आलोक में ऐसे मध्य–भर्ती परिवर्तन की वैधानिकता की जांच आवश्यक है।* *एपीएस शॉर्टहैंड परीक्षा का आधार ही शॉर्टहैंड स्किल बेस होता है, इसे क्वालिफाई नेचर का क्यों किया गया?* *आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया के दौरान कंप्यूटर परीक्षा के अंकों को अर्हकारी (Qualifying) प्रकृति का घोषित किया गया था। ऐसी स्थिति में अंतिम परिणाम में अभ्यर्थियों के कंप्यूटर परीक्षा के अंक प्रदर्शित किए जाने से अभ्यर्थियों के मध्य भ्रम एवं शंकाएँ उत्पन्न हुई हैं। साथ ही, शॉर्टहैंड परीक्षा को भी अर्हकारी (Qualifying) प्रकृति का माना गया, जबकि अंतिम परिणाम में उसकी प्रस्तुति एवं प्रभाव के संबंध में अंकों की स्पष्टता का अभाव रहा। अतः इससे परीक्षा की निष्पक्षता पर संदेह उत्पन्न होता है कि कंप्यूटर परीक्षा के अंक अंतिम परिणाम में किस उद्देश्य से प्रदर्शित किए गए तथा चयन प्रक्रिया में उनकी क्या भूमिका रही।* *अपर निजी सचिव (APS) परीक्षा–2024 के द्वितीय चरण में आयोजित निबंध एवं आलेखन विषय की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया के संबंध में अभ्यर्थियों के मध्य गंभीर शंकाएँ उत्पन्न हुई हैं। अनेक अभ्यर्थियों का मानना है कि उत्तरपुस्तिकाओं का*	अपर निजी सचिव परीक्षा–2024 के पाठ्यक्रम से सम्बन्धित अभ्यर्थीगण के प्रत्यावेदन के बिन्दु सं0–1 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून द्वारा दिनांक 24 जनवरी, 2023 को अनुमोदित प्रश्नगत पद हेतु परीक्षा योजना/पाठ्यक्रम के अनुसार अभ्यर्थियों के सूचनार्थ दिनांक 25.11.2024 को परीक्षा आयोजन के सम्बन्ध में परीक्षा अनुभाग–03 द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी। 2. सूच्य है कि कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून द्वारा दिनांक 24 जनवरी, 2023 के अनुमोदन के क्रम में प्रश्नगत पद हेतु परीक्षा योजना/पाठ्यक्रम में प्रथम चरण की परीक्षाएं यथा हिन्दी/अंग्रेजी टंकण परीक्षा/कम्प्यूटर ज्ञान परीक्षा तथा हिन्दी आशुलेखन परीक्षा (अनिवार्य)/अंग्रेजी आशुलेखन परीक्षा (वैकल्पिक/अधिमानी) अर्हकारी प्रकृति की है। 3. कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा के अंक प्रदर्शित किए जाने के सम्बन्ध में सूच्य है कि प्रश्नगत विज्ञापन की शर्तानुसार कम्प्यूटर ज्ञान परीक्षा में अर्हकारी योग्यता हेतु अधिकतम 100 अंक के प्रश्नपत्र में अभ्यर्थी द्वारा 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य था। अतः मा0 आयोग द्वारा विचारोपरान्त् कम्प्यूटर ज्ञान परीक्षा में अभ्यर्थियों की अर्हता/अनर्हता के निर्धारण हेतु अंको की अनिवार्यता को यथावत रखा गया। अर्थात् अधिकतम 100 अंकों की कम्प्यूटर ज्ञान परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक यथा 50 या 50 से अधिक अंक प्राप्त करने पर अभ्यर्थी को अर्ह एवं उससे कम अंक प्राप्त करने पर अभ्यर्थी को अनर्ह माना गया है। विज्ञापन के अनुसार यह अंक अगले चरण की परीक्षा में नहीं गये। 4. यह भी सूच्य है कि प्रश्नगत परीक्षा के अन्तर्गत सभी चरणों में सम्पादित परीक्षाओं यथा टंकण/कम्प्यूटर आधारभूत ज्ञान/आशुलेखन/मुख्य(लिखित) परीक्षा की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं में

		मूल्यांकन अपेक्षित मानकों एवं निष्पक्षता के अनुरूप नहीं किया गया। अतः निबंध एवं आलेखन की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया, मूल्यांकन मानदंड तथा प्राप्तांकों का पुनः परीक्षण/सत्यापन कराए जाने एवं आवश्यक जानकारी सार्वजनिक किए जाने का कष्ट करें, जिससे परीक्षा की पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। ***2.*** *उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग पर लगाए जा रहे उपर्युक्त सभी आरोपों एवं अभ्यर्थियों की शंकाओं के निष्पक्ष परीक्षण हेतु एक स्वतंत्र जांच समिति का गठन किया जाए। उक्त जांच समिति के माध्यम से अंतिम परिणाम में सफल सभी अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट तथा ओएमआर शीट की ऑफिस कॉपी (कार्बन कॉपी) हम सभी अभ्यर्थियों को दिखाई जाए। साथ ही, पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी संबंधित ओएमआर शीट एवं उनकी ऑफिस कॉपी (कार्बन कॉपी) को स्कैन कर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाए, ताकि हम सभी अभ्यर्थी अभिलेखों का अवलोकन कर सकें तथा लोक सेवा आयोग की पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता के संबंध में पूर्णतः आश्वस्त हो सकें।* ***3.*** *जाँच समिति का गठन किया जाए, उसे निर्देशित किया जाए कि वह समस्त जांच एवं सत्यापन की प्रक्रिया को अधिकतम 10 कार्यदिवस के भीतर पूर्ण कर अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक करे तथा हम सभी अभ्यर्थियों को तथ्यात्मक स्थिति से अवगत कराए।* ***4.*** *यदि गठित जांच समिति उपर्युक्त जांच एवं सत्यापन की प्रक्रिया को 10 कार्यदिवस के भीतर पूर्ण करने में असफल रहती है अथवा निर्धारित अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करती है, तो हम सभी अभ्यर्थी अपने वैधानिक एवं संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण हेतु सर्वोच्च न्यायालय की शरण लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने वाले विवाद, विलंब एवं उससे संबंधित न्यायिक कार्यवाहियों के लिए उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग का प्रशासनिक उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना अपेक्षित होगा।*	विषय–विशेषज्ञों द्वारा की गयी प्रविष्टियों तथा अंकतालिका (Award Sheet) में कोडवार अंकित प्रविष्टियों का यादृच्छिक (रैण्डम) परीक्षण उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली–2022 के भाग–4 के नियम–5 मूल्यांकन प्रक्रिया के उपनियम 2(iv) के अनुसार मा0 परीक्षा समिति द्वारा किया गया है। परीक्षणोपरान्त मा0 परीक्षा समिति द्वारा समस्त विवरण सही पाये गये हैं। अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि अभ्यर्थियों के आरोप निराधार हैं। 5. प्रत्यावेदन के बिन्दु सं0–2 के सम्बन्ध में सूच्य है कि परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम घोषित किये जाने के पश्चात अभ्यर्थियों को सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत उनकी प्रत्येक चरण की उत्तर पुस्तिकाओं की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करायी जाती है। अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी अपनी प्रत्येक चरण की उत्तर पुस्तिका/ओ0एम0आर0 उत्तर पत्र का अवलोकन कर सकते हैं। 6. प्रत्यावेदन के बिन्दु सं0–3 एवं 4 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली–2022 यथा संशोधित विनियमावली में मूल्यांकन प्रकरण पर स्वतंत्र जांच समिति गठित किये जाने का प्राविधान नहीं है। निष्पक्षता एवं पारदिर्शिता हेतु मा0 परीक्षा समिति एवं मा0 आयोग स्तर पर सभी प्रविष्टियों/अभिलेखों/प्रपत्रों का गहनता से परीक्षण किया जाता है। परीक्षणोपरान्त समस्त विवरण सही पाये जाने पर ही परीक्षा परिणाम घोषित किया जाता है। अतः मा0 आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रत्यावेदन में किये गये अनुरोध को अस्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित कर दिया गया है।

Sd/-
(अशोक कुमार पाण्डेय)
सचिव।